न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 37/2021

दायर दिनांक – 17.08.2021

निर्णय दिनांक – 29.10.2021

जीसीएमएस नं0 –2021/85

प्रशासन गाँवो के संग अभियान–2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्रीमती सोहनी पत्नी श्री हनुमान जाति रेगर निवासी खोरी पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री एस. के. चौधरी, अधि0, प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम खोरी तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि खाता सं0 28 के खसरा नंबर 803/891 रकबा 0.31 है0 बारानी 2 की सीमा स्थिति त्रुटिपूर्ण है, की वर्तमान राजस्व नक्शें की इन्द्राज दुरूस्ती कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार पुष्कर से प्रकरण की जॉच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:27 IST
Reason: SelfAttested

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/2162 दिनांक 31.08.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत

29.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि " ग्राम खोरी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2070–73 जमाबंदी 2074 से स्थायी के खाता संख्या 126 में खसरा नम्बर 790/1032 रकबा 0.07 हक्टैयर किस्म बारानी 2, 791/1033 रकबा 0.08 हक्टेयर किस्म बारानी 2, 792 रकबा 1.26 हैक्टेयर किस्म चाही 3, 803 रकबा 1.49 हैक्टेयर किस्म चाही 3 एवं 803/1132 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु.चाह पर वादीया सोहनी पत्नी हनुमान हि. 1/42 जाति रेगर एवं अन्य सह खातेदारान के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त हाल खसरा नम्बरान साबिक वर्किंग खसरा नम्बर 666 रकबा 18 बीघा 10 बीस्वांसी से बने है। वाद पत्र में उल्लेखित साबिक वर्किंग खसरा नम्बर 677 रकबा 13 बीघा 06 बीस्वा 10 बिस्वांसी के हाल खसरा नम्बर 804 रकबा 1.85 हैक्टेयर किस्म बारानी 2, 803/891 रकबा 0.31 किस्म बारानी 2 बने है, जो कि वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 28 में गणपत सिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा गनाहेड़ा अजमेर राज. के नाम दर्ज है। वर्किंग राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में खसरा संख्या 666 एवं 677 की क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा मिलती हुई है। वर्किंग साबिक खसरा संख्या 666 के हाल खसरा नम्बरान 790/1032, 791/1033, 792, 803, 803/1132 तथा वर्किंग साबिक खसरा संख्या 677 के हाल खसरा नम्बरान 804, 803/891 का वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में मिलान करने पर वर्तमान खसरा नम्बर 803/891 की स्थिति खसरा संख्या 803 के पश्चिम दिशा की ओर लगती हुई है जबकि खसरा नम्बर 803/891 की स्थिति खसरा नम्बर 804 की पश्चिमी सीमा से लगती हुई होनी चाहिए क्यूंकि ख.नं. 804 एवं 803/891 दोनो की साबिक वर्किंग खसरा नम्बर 677 से बने हुये है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 803/891 की स्थिति त्रूटिपूर्ण दर्ज है। जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अनुसार किया जाना उचित है। वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती को लाल स्याही से प्रस्तावित किया गया है। जिसमें खसरा संख्या 803/891 एवं 803 की मध्य सीमा को हटा कर खसरा संख्या 803 व 804 के मध्य नई सीमा लाल स्याही से कायम कर इन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित इन्द्राज दुरूस्ती से राजहित प्रभावित नहीं होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार इन्द्राज दुरूस्ती नियमानुसार विधि संगत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:27 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम लेसवा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि खाता सं0

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

...के खसरा नंबर 803/891 रकबा 0.31 है0 बारानी 2 की सीमा स्थिति त्रुटिपूर्ण दर्शाया जाकर दर्ज किया गया, जिसकी दुरूस्ती करना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम खोरी, तहसील पुष्कर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता सं0 28 के खसरा नंबर 803/891 रकबा 0.31 है0 बारानी 2 की स्थिति खसरा नंबर 803 के पश्चिम में लगती हुई दर्शायी गई है, जिसके स्थान पर नवीन दुरूस्ती के पश्चात् राजस्व नक्शें में खसरा नंबर 803/891 रकबा 0.31 है0 की सीमा स्थिति खसरा नंबर 804 के पश्चिम में तथा खसरा नंबर 803 के पूर्व में स्थिति होगी (प्रस्तावित नक्शें को निर्णय का भाग समझा जावें)। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

29.10.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)
(आर.ए.एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:27 IST
Reason: SelfAttested